उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 04/2017/1522/छप्पन-2016-48/2010
लखनऊ: दिनांक : 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1534/छप्पन-2010-26/08 टी0सी0, दिनांक 03.12.2010 द्वारा श्री बृजेश को व्याख्याता (मैकेनिकल) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 31,000/- (रूपये इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री बृजेश द्वारा दिनांक 15.12.2010 के पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, जिसकी अवधि दिनांक 14.12.2011 को समाप्त हो गयी थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गयी है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1648/छप्पन-2015-48/2010, दिनांक 15.01.2016 द्वारा श्री बृजेश की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 52668/- (रूपये बावन हजार छः सौ अड़सठ मात्र) पर दिनांक 15.12.2015 से दिनांक 14.12.2016 तक (अर्थात 01 वर्ष) के लिए बढ़ाई गयी थी, जो दिनांक 14.12.2016 को समाप्त हो रही है। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि श्री बृजेश द्वारा अपनी संविदा अवधि अग्रेतर बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा है कि श्री बृजेश द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है साथ ही निदेशक ए0टी0आई0 ने व्याख्याता (मैकेनिकल) के पद पर श्री बृजेश की संविदा अवधि अग्रेतर एक वर्ष बढ़ाने का प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल श्री बृजेश, व्याख्याता (मैकेनिकल) की संविदा अवधि दिनांक 15.12.2016 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 14.12.2017 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक पर बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री बृजेश को शासनादेश संख्या - 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09-09-2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि अनुमन्य होगी।

2- श्री बृजेश को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- श्री बृजेश से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

श्री बृजेश, (संविदा)
व्याख्याता (मैकेनिकल,
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 4/2017/1522(1)/छप्पन-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री बृजेश से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।